**भारत सरकार**

**कोयला मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 9**

**ftldk mRrj 24 uoEcj] 2014 dks fn;k tkuk gS**

**fo|qr la;a=ksa dks dks;ys dh vkiwfrZ**

**9 Jh eksrh yky oksjk %**

D;k **dks;yk ea=h** ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ mPpre U;k;ky; ds fu.kZ; ls 214 dks;yk [kkuksa dk vkoaVu fujLr fd;s tkus ds ckn dks;yk vk/kkfjr fctyh ?kjksa dks dks;ys dh vkiwfrZ esa fdlh izdkj dh ck/kk u vk;s] blds fy, ljdkj us D;k dne mBk;s gS(

¼[k½ D;k ;g Hkh lp gS fd fctyh ?kjksa dks dks;ys dh vkiwfrZ ckf/kr gksus ds dkj.k fctyh mRiknu izHkkfor gqvk gS vkSj fiNys 6 ekg ls] dqN fctyh ?kjksa ds ikl nks&rhu fnu dk dksy LVkWd gh Fkk(

¼x½ ;fn gka] rks bl fLFkfr esa fdruk lq/kkj vk;k gS( vkSj

¼?k½ dks;yk [kkuksa ds 'kh?kz vkoaVu ds fy, ljdkj us D;k dne mBk;s gS\

**उत्‍तर**

**कोयला, विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क),(ख) तथा (ग) :**  कोयला उत्‍पादन वाले कोयला ब्‍लॉकों से कोयले के उत्‍पादन की अनुमति 31 मार्च, 2015 तक दी गई है, इसलिए माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा कोयला ब्‍लॉकों को रद्द करने के कारण कोयले की आपूर्ति और विद्युत उत्‍पादन अवरूद्ध नहीं हुआ है।

अप्रैल, 2014 से अक्‍टूबर, 2014 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कोयला आधारित उत्‍पादन में 15.4% की वृद्धि हुई है। देश में सीआईएल स्रोतों से विद्युत उत्‍पादकों को कोयले की आपूर्ति में सुधार हुआ है। यह 208.71 मि.टन (अनन्‍तिम) है जो 2014 – 15 के लिए वार्षिक कार्य योजना के भाग के रूप में अप्रैल से अक्‍टूबर, 2014 की अवधि के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा तय किए गए 223.09 मि.टन के आपूर्ति योजना लक्ष्‍य का 94% है।

विद्युत संयंत्रों को कोयले की पर्याप्‍त उपलब्‍धता सुनिश्‍चित करने के उद्देश्‍य से कोल इंडिया लि. (सीआईएल) को घरेलू कोयले का उत्‍पादन बढ़ाने के लिए जोर दिया गया है तथा विद्युत उत्‍पादकों को घरेलू कोयले की उपलब्‍धता की कमी को पूरा करने के लिए कोयले के आयात में वृद्धि करने की सलाह भी दी गई है।

उपर्युक्‍त के अलावा, विद्युत उत्‍पादक क्षेत्र को कोयले की आपूर्तियों की निगरानी करने के उद्देश्‍य से विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और रेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक अंतर – मंत्रालयी उप-समूह का गठन किया गया है। यह उप-समूह नाजुक कोयला भण्‍डारण स्‍थिति सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी आकस्‍मिक स्‍थिति से निपटने के लिए विभिन्‍न प्रचालनात्‍मक निर्णय लेता है।

**(घ) :** रद्द किए गए कोयला ब्‍लॉकों के प्रबंधन तथा पुन: आबंटन के लिए सरकार ने 21.10.2014 को कोयला खान (विशेष उपबंध) अध्‍यादेश, 2014 की घोषणा की है। रद्द किए गए कोयला ब्‍लॉकों का आबंटन अब अध्‍यादेश के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

---------